बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/अनु 1-01/11............/ पटना, दिनांक .... अगस्त, 2012

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

औपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा: वित्त विभाग।

विषय : माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न शहरी निकायों में नियोजित 3944 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में नियत वेतन के भुगतान हेतु ₹44,10,09,200 (चौवालीस करोड़ दस लाख नौ हजार दो सौ) एवं विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतनादि भुगतान हेतु ₹1,07,53,800 (एक करोड़ सात लाख तिरपन हजार आठ सौ) अर्थात् कुल ₹45,17,63,000 (पैतालीस करोड़ सतरह लाख तिरसठ हजार) रूपये मात्र के विरूद्ध तत्काल ₹ 44,75,85,500 (चौवालीस करोड़ पचहत्तर लाख पचासी हजार पाँच सौ) रूपये मात्र विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबध में।

आदेश – स्वीकृत।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद/नगर निकायों के उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी जिला परिषद् एवं नगर निकायों को सहायक अनुदान वेतन के रूप में राशि उपलब्ध कराया जाना है।

2. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न शहरी निकायों में नियोजित 3944 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का निकायवार नियत वेतन के भुगतान की स्वीकृति निम्नवत दी जाती है:-

(क) नगर निगम के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 7,39,96,500 (सात करोड़ उन्चालीस लाख छियानवे हजार पाँच सौ) तथा विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु ₹ 21,15,800 (इक्कीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ) अर्थात् कुल ₹ 7,61,12,300 (सात करोड़ इकसठ लाख बारह हजार तीन सौ) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष-2202, सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-191 नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0002-नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विपत्र कोड-एन०-2202021910002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष-3104 सहायक अनुदान-वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 8,25,00,000 (आठ करोड़ पच्चीस लाख) का बजट प्रावधान है।

(ख) नगर परिषद के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 6,50,53,500 (छः करोड़ पचास लाख तिरपन हजार पाँच सौ) तथा विगत वित्तीय वर्षों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु ₹ 41,24,000 (इकतालीस लाख चौबीस हजार) अर्थात् कुल ₹ 6,91,77,500 (छः करोड़ इक्यानवे लाख

सतहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध कुल ₹ 6,50,00,000 (छः करोड़ पचास लाख) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष–192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष–0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विपत्र कोड– एन०–2202021920002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष–3104 सहायक अनुदान–वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 6,50,00,000 (छः करोड़ पचास लाख) का बजट प्रावधान है। शेष राशि की व्यवस्था द्वितीय अनुपूरक आगणन से की जायेगी।

(ग) नगर पंचायत के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 3,47,61,100 (तीन करोड़ सैतालीस लाख इकसठ हजार एक सौ) तथा विगत वित्तीय वर्षो के बकाया वेतनादि भुगतान हेतु ₹15,85,400 (पन्द्रह लाख पचासी हजार चार सौ) अर्थात् कुल ₹3,63,46,500 (तीन करोड़ तिरसठ लाख छियालीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा लघुशीर्ष–193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रों की समितियाँ या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष–0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विपत्र कोड– एन०–2202021930002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष–3104 सहायक अनुदान–वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹4,10,00,000 (चार करोड़ दस लाख) का बजट प्रावधान है।

(घ) जिला परिषद के अन्तर्गत नियोजित शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹26,71,98,100 (छब्बीस करोड़ इकहत्तर लाख अन्ठानवे हजार एक सौ) तथा विगत वित्तीय वर्षो के बकाया वेतनादि भुगतान हेतु ₹29,28,600 (उनतीस लाख अठ्ठाईस हजार छः सौ) अर्थात् कुल ₹27,01,26,700 (सताईस करोड़ एक लाख छब्बीस हजार सात सौ) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष–196 जिला परिषदों/जिला स्तर के पंचायतों को सहायता, उपशीर्ष–0002 जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु, विपत्र कोड–एन०–2202021960002 के अन्तर्गत विषयशीर्ष–3104 सहायक अनुदान–वेतन से किया जायेगा। संगत शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹35,00,00,000 (पैतीस करोड) का बजट प्रावधान है।

3. उपर्युक्त कंडिका 2 (क) से (घ) में नियोजित माध्यमिक शिक्षक के वित्तीय वर्ष 2012–13 के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹44,10,09,200 (चौवालीस करोड दस लाख नौ हजार दो सौ) एवं विगत वित्तीय वर्षो के बकाया वेतनादि ₹1,07,53,800 (एक करोड सात लाख तिरपन हजार आठ सौ) अर्थात् कुल ₹45,17,63,000 (पैतालीस करोड़ सतरह लाख तिरसठ हजार) रूपये मात्र की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में विपत्र कोड–एन०–2202021920002 में ₹6,50,00,000 (छः करोड़ पचास लाख) का बजट प्रावधान है। अतएव वित्तीय वर्ष 2012–13 में कंडिका क से घ में वर्णित शीर्षों में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत कुल (₹7,61,12,300 + ₹6,50,00,000 + ₹3,63,46,500 + ₹27,01,26,700) अर्थात् ₹44,75,85,500 रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त